

न्यायालय जिला मजिस्ट्रेट, सिरौही (राज.)

बईजलास डॉ. भँवर लाल, आई.ए.एस.

प्रार्थना-पत्र संख्या 20 / 2023

प्रार्थी	बनाम	अप्रार्थीगण
प्राधिकृत अधिकारी आदर्श कॉर्पोरेटिव बैंक लिमिटेड सिरौही।		1. मैसर्स सन इन्फोटक प्रोप. श्री ओमप्रकाश पुत्र श्री गणेश दास वैष्णव निवासी जोशी वास बस स्टेण्ड रेवदर जिला सिरौही। 2. श्रीमती शारदा देवी पत्नि श्री ओमप्रकाश वैष्णव निवासी जोशी वास बस स्टेण्ड रेवदर जिला सिरौही। 3. श्री कल्पेश कुमार पुत्र श्री दुर्गारम निवासी रेवदर जिला सिरौही। 4. श्री जयसिंह पुत्र श्री लालसिंह राव निवासी राव का वास बूटडी तहसील रेवदर जिला सिरौही।


प्रार्थना-पत्र अन्तर्गत धारा 14 दी सिक्युराइटेसन एण्ड रिकन्सट्रक्शन ऑफ फाईनेन्शियल एस्सेट्स एण्ड एन्फोर्समेन्ट ऑफ सिक्युरिटी इन्ट्रेस्ट एक्ट 2002

उपस्थिति :-

1. अधिवक्ता श्री दिनेश सिंह राजपुरोहित, प्रार्थी बैंक ।

निर्णय

दिनांक : 28.03.2023



प्रार्थी ने यह प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 14 दी सिक्युराइटेसन एण्ड रिकन्सट्रक्शन ऑफ फाईनेन्शियल एस्सेट्स एण्ड एन्फोर्समेन्ट ऑफ सिक्युरिटी इन्ट्रेस्ट एक्ट 2002 के तहत अप्रार्थीगण के विरुद्ध प्रस्तुत किया । प्रार्थी का प्रार्थना-पत्र दर्ज रजिस्टर किया गया ।

प्रार्थना पत्र के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी पक्ष के द्वारा अप्रार्थी

1. मैसर्स सन इन्फोटक प्रोप. श्री ओमप्रकाश पुत्र श्री गणेश दास वैष्णव निवासी जोशी वास बस स्टेण्ड रेवदर जिला सिरौही।
2. श्रीमती शारदा देवी पत्नि श्री ओमप्रकाश वैष्णव निवासी जोशी वास बस स्टेण्ड रेवदर जिला सिरौही।
3. श्री कल्पेश कुमार पुत्र श्री दुर्गारम निवासी रेवदर जिला सिरौही।
4. श्री जयसिंह पुत्र श्री लालसिंह राव निवासी राव का वास बूटडी तहसील रेवदर जिला सिरौही।

को राशि रूपये 04,00,000/- एवं 14,25,000/- की ऋण उपलब्ध कराई तथा पुनर्भुगतान हेतु अप्रार्थी ने अपनी जायदाद बैंक के पास बतौर अमानत बंधक रखी थी। अप्रार्थी ने अपनी जायदाद All the piece and parcel of

जिला मजिस्ट्रेट, सिरौही

Immovable Commercial property Situated at Shop No. 13, Ground Floor,

Ambeswar Plaza, Sadar Bazar, Cinema Road, Sirohi, District Sirohi admeasuring area about 120 sq. Feet. Patta No. 104, Patta Date 14-02-1933 , Patta No. 39, Patta Date 21-02-1940, Patta No. 91, Patta Date 01-09-1972 and Sale Deed Registered before the Sub Registrar office Sirohi on 15-04-2010, Book No. 1, jild No. 04 Page No. 06, Sr. No. 2010000606 & additional Book No. 1, Jild No. 14, Page No. 61 to 74, This Property Equitable Mortgage by Mr. Sharvan Kumar Rawal S/o Mr. Shiv Ram Rawal. है, को बैंक/कम्पनी के पक्ष में रहन कर दिया।

अप्रार्थी द्वारा नियमित रूप से प्रार्थी के बैंक/कम्पनी को ऋण का भुगतान करने में असफल रहने पर प्रार्थी द्वारा ऋण राशि मय ब्याज के अदा करने हेतु उक्त अधिनियम की धारा 13(2) के अन्तर्गत अप्रार्थी के नाम रजिस्टर्ड नोटिस दिनांक 14.12.2022 को जारी किये गये। जो पंजीकृत डाक के माध्यम से तामिल करवाये गये उसके पश्चात भी अप्रार्थी द्वारा ऋण राशि मय ब्याज भुगतान नहीं करने पर प्रार्थी बैंक ने अप्रार्थीयो के द्वारा बतौर जमानत रहन रखी गई सम्पति इत्यादि का कब्जा प्रार्थी बैंक/कम्पनी को संभलाने हेतु यह प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया।

प्रार्थी के लायक अधिकारी/अधिवक्ता की बहस सुनी। विद्वान अधिवक्ता ने प्रार्थना पत्र में वर्णित बिन्दुओं की पुष्टि करते हुए कहा कि प्रार्थी बैंक/कम्पनी एक नियमित निकाय है जो अपनी शाखाओं के माध्यम से ऋण देने का व्यवसाय करती है उसकी शाखाओं में से एक सिरोही में भी स्थित व कार्यरत है। प्रार्थी बैंक/संस्था द्वारा अप्रार्थीगण को रुपये 04,00,000/- एवं 14,25,000/- ऋण स्वीकृत किया था। जिसकी एवज में अपनी जायदाद बैंक/कम्पनी के पक्ष में बन्धक रखी गई थी जिसका वर्णन प्रार्थना पत्र में किया गया है। बहस में कहा कि अप्रार्थी द्वारा प्रार्थी पक्ष को नियमित रूप से ऋण राशि व ब्याज राशि का भुगतान नहीं करने के कारण एक्ट की धारा 13(2) के अन्तर्गत नोटिस जारी किये गये किन्तु अप्रार्थी द्वारा देय ऋण राशि का भुगतान नहीं किया गया। भुगतान नहीं करने के फलस्वरूप अप्रार्थी स्वयं जिम्मेदार है। अतः अप्रार्थीगण द्वारा बतौर जमानत प्रार्थी बैंक/कम्पनी के पक्ष में रहन रखी गई उक्त जायदाद इत्यादि का कब्जा प्रार्थी बैंक/कम्पनी को दिलाया जावे।

प्रार्थी पक्ष की बहस सुनी। अप्रार्थी द्वारा राशि रुपये 04,00,000/- एवं 14,25,000/- का ऋण लिया था। ऋण राशि के बदले में अप्रार्थी द्वारा अपनी जायदाद को बैंक/कम्पनी के पक्ष में उक्त जायदाद रहन रखी है। प्रार्थी द्वारा

82-1100
जिला मजिस्ट्रेट, सिरोही

नियमानुसार धारा 13(2) के अधीन अप्रार्थी को रजिस्टर्ड नोटिस भी दिनांक 14.12.2022 को जारी किये है जिनकी प्राप्ति के पश्चात् भी अप्रार्थी द्वारा देय राशि का भुगतान नहीं किया है ।

दी सिक्युराइजेशन एण्ड रिकन्सट्रक्शन ऑफ फाईनेन्शियल एस्सेट्स एण्ड एन्फोर्समेन्ट आफ सिक्युरिटी इन्ट्रेस्ट एक्ट 2002 की धारा 14 निम्न प्रकार है :-


14 . Chief Metropolitan Magistrate or District Magistrate to assist secured creditor in taking possession of secured asset – (1) Where the possession of any secured assets is required to be taken by the secured creditor or if any of the secured assets is required to be sold or transferred by the secured creditor under the provisions of this Act, the secured creditor may, for the purpose of taking possession or control of any such secured asset, request, in writing the Chief Metropolitan Magistrate or the District Magistrate within whose jurisdiction any such secured asset or other document, relating thereto may be situated or found to take possession thereof and the

Chief Metropolitan Magistrate or as the case may be, the District Magistrate shall, on such request being made to him –

- (a) take possession of such asset and documents relating thereto and
(b) forward such assets and documents to the secured creditor

(2) For the purpose of securing compliance with the provisions of sub-section (1) , the Chief Metropolitan Magistrate or the District Magistrate may take or cause to be taken such steps and use, or cause to be used, such force, as may, in his opinion, be necessary.

परिणामस्वरूप तथ्यों के संदर्भ में प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 14 दी सिक्युराइजेशन एण्ड रिकन्सट्रक्शन ऑफ फाईनेन्शियल एस्सेट्स एण्ड एन्फोर्समेन्ट आफ सिक्युरिटी इन्ट्रेस्ट एक्ट 2002 में प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर अप्रार्थी ने अपनी जायदाद आवासीय सम्पत्ति All the piece and parcel of immovable Commercial property Situated at Shop No. 13, Ground Floor, Ambeswar Plaza, Sadar Bazar, Cinema Road, Sirohi, District Sirohi admeasuring area about 120 sq. Feet. Patta No. 104, Patta Date 14-02-1933 , Patta No. 39, Patta Date 21-02-1940, Patta No. 91, Patta Date 01-09-1972 and Sale Deed Registered before the Sub Registrar office Sirohi on 15-04-2010, Book No. 1, jild No. 04 Page No. 06, Sr. No. 2010000606 & additional Book No. 1, Jild No. 14, Page No. 61 to 74, This Property Equitable Mortgage by Mr. Sharvan Kumar Rawal S/o Mr. Shiv Ram Rawal. Four corner direction of the said immovable properties are given hereunder;



बुल्लो
जिला मजिस्ट्रेट, सिरोही

East- Shop No. 12, Mr. Mangi Lal S/o Shivramji Rawal R/o Sirohi


West- Shop No. 14

North- Door- Passage in Complex

South- The Sirohi Central Co-operative Bank Ltd. Branch Sirohi.

उपरोक्त जायदाद पर किसी न्यायालय का स्थगन आदेश नहीं होने की स्थिति में उक्त जायदाद का कब्जा अप्रार्थी से प्राप्त कर जरिये संबंधित पुलिस थाना से प्रार्थी बैंक/कम्पनी को संभलाये जाने का आदेश दिया जाता है। यदि उक्त सम्पत्ति किसी भी तरीके से बंद पायी जाती है तो ताला तोडकर उक्त सम्पत्ति पर प्रार्थी बैंक अपना कब्जा स्थापित करें। आदेश की प्रति वास्ते पालनार्थ पुलिस अधीक्षक सिरोही, संबंधित थानाधिकारी पुलिस थाना एवं प्रार्थी बैंक/कम्पनी को आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित की जावे।

आदेश आज दिनांक 28.03.2023 को सरे ईजलास सुनाया गया।



Bello
(डॉ. भँवर लाल)
जिला मजिस्ट्रेट, सिरौही